सं0–796 / XXV III (3) 2004–49 / 2004

प्रेषक,

अर्जुन सिंह
संयुक्त सचिव
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

मुख्य चिकित्साधिकारी
टिहरी गढवाल।

चिकित्सा अनुभाग–3 देहरादून: दिनांक : 20 नवम्बर, 2004

विषय: प्रा0 स्वा0 केन्द्र हुलानखाल जनपद टिहरी गढवाल के भवन निर्माण हेतु पुनरीक्षित लागत की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0–7प/3/पी.एच.सी/17/2002/12552 दिनांक 26.4.2002 के संदर्भ एवं उ0प्र0 शासन के शासनादेश सं0–2896/28–98–10(20)/97 दिनांक 19.9.1998 के क्रम मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय द्वारा वित्तीय वर्ष 2004–2005 मे प्रा0 स्वा0 केन्द्र हुलानखाल जनपद टिहरी गढवाल के भवन निर्माण हेतु रू0 21,57,000=00 (रू0 इक्कीस लाख सत्तावन हजार मात्र) की धनराशि की पुनरीक्षित लागत पर प्रशासनिक/वित्तीय अनुमोदन तथा चालू वित्तीय वर्ष 2004–05 मे व्यय हेतु संलग्नकानुसार रू0 4,74,00,000=00 (रू0 चार लाख चौहत्तर हजार मात्र) की धनराशि की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

1– एकमुश्त प्राविधानों को कार्य करने से पूर्व विस्तृत प्रस्ताव बनाकर सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त कर लें।

2– कार्य कराते समय लो0 नि0 विभाग के स्वीकृत विशिष्टियो के अनुरूप कार्य कराये तथा कार्य की गुणवत्ता पर विशेष बल दिया जाये। कार्य की गुणवत्ता का पूर्ण उत्तरदायित्व निर्माण एजेन्सी का होगा।

3– उक्त धनराशि तत्काल आहरित की जायेगी तथा तत्पश्चात् निर्माण इकाई परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0सी0एण्ड0डी0एस0, जल निगम उत्तरांचल को उपलब्ध कराई जायेगी। स्वीकृत धनराशि का उपभोग प्रत्येक दशा मे इसी वित्तीय वर्ष के भीतर सुनिश्चित किया जायेगा।

4 - स्वीकृत धनराशि के आहरण से संबंधित वाऊचर संख्या एवं दिनांक की सूचना तत्काल उपलब्ध कराई जायेगी तथा धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका मे उल्लिखित प्राविधानों मे बजट मैनुअल तथा शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित् किया जायेगा।

5– आगणन मे उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षक अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों मे जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट मे स्वीकृत नही है अथवा बाजार भाव से भी ली गयी हो, कि स्वीकृति नियमानुसार कम से कम अधीक्षक अभियन्ता स्तर के अधिकारी का अनुमोदन आवश्यक होगा।

6– कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

7– कार्य पर उतना ही व्यय किया जायेगा जितना कि स्वीकृत मानक है। स्वीकृत मानक से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

8– एक मुश्त प्राविधन को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

9– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें ।

10– कार्य करने से पूर्व स्थल का भली भाँति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एवं भुगर्ववेत्ता के साथ आवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात् स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जायें।

11– आगणन जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाए, एक मद का दूसरी मद मे व्यय कदापि न किया जाए। निर्माण सामग्री को प्रयोग मे लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से परीक्षण करा लिया जाय, तथा उपर्युक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग मे लाया जाए।

12– स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति आख्या प्रत्येक दशा मे माह की 07 तारीख तक निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध कराई जायेगी। यह भी स्पष्ट किया जाएगा कि इस धनराशि से निर्माण का कौन सा अंश पूर्णतया निर्गत किया गया है।

13– निर्माण के समय यदि किसी कारणवंश परिकल्पनाओं/विशिष्टयों मे बदलाव आता है तो इस दशा मे शासन की स्वीकृति आवश्यक होगी ।

14– निर्माण कार्य से पूर्व नींव के भू–भाग की गणना आवश्यक है, नींव के भू–भाग की गणना के आधार पर ही भवन निर्माण किया जाय।

15– उक्त व्यय वर्ष 2004–05 के आय–व्ययक मे अनुदान संख्या –12 के लेखाशीर्षक 4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय– आयोजनागत –02 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें –103 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र–91–जिला योजना –9101 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जाना (जिला योजना)24–वृहत निर्माण कार्य के अन्तर्गत सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा ।

16– यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0–811/वित्त अनुभाग–2/2004 दिनांक 18.11.2004 मे प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे है ।

भवदीय

(अर्जुन सिंह)
संयुक्त सचिव

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, उत्तरांचल, माजरा देसादून ।
2– निदेशक, कोषागार, उत्तरांचल ,देहरादून।
3– कोषाधिकारी, टिहरी गढवाल ।
4– जिलाधिकारी, टिहरी।
5– महानिदेशक,चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,उत्तरांचल देहरादून।
6– परियोजना प्रबन्धक,उ0प्र0सी0एण्ड0डी0एस0,जल, निगम उत्तरांचल
7– निजी सचिव मा0 मुख्य मुख्यमंत्री।
8– वित्त अनुभाग–2/नियोजन विभाग/एन.आई.सी.
9– गार्ड फाईल ।

आज्ञा से

(अर्जुन सिंह)
संयुक्त सचिव

शासनादेश सं0796 / XXVIII-(3)-2004-49 / 2004 दिनांक 2004 का संलग्नक

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र. सं0	योजना का नाम	अनुमोदित लागत	पुनरीक्षित लागत	पूर्व मे स्वीकृत धनराशि	वर्ष 2004-05 मे स्वीकृत धनराशि
1	2	3	4	5	6
I	प्रा0स्वा0केन्द्र हुलानखाल जनपद टिहरी गढवाल का भवन निर्मण।	16.83	21.57	16.83	4.74

(रू0 चार लाख चौहत्तर हजार मात्र)

(अर्जुन सिंह)
संयुक्त सचिव